राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/9सी जयपुर, दिनांक : 1.3.2002

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6 (179) परि/टैक्स/एचक्यू/95/9–ख, दिनांक 17 मई, 2001 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इससे संलग्न सारणी के स्तम्भ सं. 1 में विनिर्दिष्ट इस राज्य के माल वाहकों पर विशेष सड़क कर की दर, उसके स्तम्भ सं. 2 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर, इसके द्वारा, विहित करती है :–

सारणी

सं.	परिवहन यान का वर्णन	विशेष सड़क कर की वार्षिक दर
	1	2
	माल वाहकः	
(i)	2,00,000 रु. तक की लागत के चैसिस/यान	चैसिस/यान की लागत का 1 प्रतिशत
(ii)	2,00,000 रु. से अधिक और 4,00,000 रु. तक की लागत के चैसिस/यान	चैसिस/यान की लागत का 0.30 प्रतिशत
(iii)	4,00,000 रु. से अधिक और 6,00,000 रु. तक की लागत के चैसिस/यान	चैसिस/यान की लागत का 0.35 प्रतिशत
(iv)	6,00,000 रु. से अधिक और 10,00,000 रु. तक की लागत के चैसिस/यान	चैसिस/यान की लागत का 0.40 प्रतिशत
(V)	10,00,000 रु. से अधिक की लागत वाली चैसिस/यान, 10,00,000 रु. से अधिक प्रत्येक 1000/–रु. या उसके भाग के लिए	उपर्युक्त खण्ड (iv) में यथा विनिर्दिष्ट दर के अतिरिक्त प्रत्येक 1000/–रु. या उसके भाग के लिए 0.50 %

टिप्पण– किसी मोटर यान के स्वामी या उस पर कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, कोई भी ऐसा कर या शास्ति, जो राजस्थान वित्त अधिनियम, 1997 के अध्याय– V केउपबन्धों के अधीन जारी की गयी इस अधिसूचना के प्रवृत होने के पूर्व की किसी भी कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर संदत्त की जायेगी जो समय–समय पर ऐसे यानों पर लागू थीं ।

स्पष्टीकरण:– (1) कर की संगणना के लिये यान/चैसिस की लागत वह होगी जो राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 के अधीन बतायी गयी है ।

(2) इस अधिसूचना के अधीन संदेय विशेष सड़क कर, संनिर्माण उपस्कर यान और कैम्पर वेन/ट्रेलर, टिपर, कैश वेन, मोबाइल कैंटीन, हालपैक, डम्पर, मोबाइल, वर्कशॉप, एम्बुलेंस, एनीमल एम्बुलैंस, फायर टेन्डर्स, स्नोकर्ड लेडर, ऑक्जिलरी ट्रेलर और अग्नि शमन यान, हीयर्स, मेल केरियर, मोबाइल क्लिनिक/एक्सरे वेन/ लाईब्रेरी वेन इत्यादि जैसे यान पर प्रभारित नहीं किया जायेगा ।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव